

अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/ जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही

कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत पोण्डी-छ.ग./म.प्र. बॉर्डर, पंडरिया-कुई, बैरख-नेवराटोला, कुई-महुली, चिल्फी-तरमा, तरमा-सहसपुर लोहारा, खाड़ी-दमोह, लाखाटोला- पालक, मोहगांव-बोटेसुर, दरई-पिपरखुटा, तरेगांव-बरहापानी, कुई-नेऊर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 208.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु आवेदित 5.034 हेक्टेयर वन भूमि में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के अंतर्गत उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।


Divisional Forest Officer
Kawardha Division



(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड,
मोवा (सड़क), रायपुर (छ.ग.)